संख्या 1/3453/12 -2-2013-बजट-1/2009टी0सी0

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

क़षि अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2013

विषय वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1716/कृ0र0/छ-1/की0रो0नि0यो0/13-14 दिनांक 01 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या 1178/12-2-2013-बजट-1/2009 दिनांक 17 अपैल, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 367800 हजार के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार रू0 99400 हजार (रूपये नौ करोड चौरानबे लाख मात्र) की धनराशि नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर इस शर्त के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण फेजिंग करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- लघु/उप शीर्षक की धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ'साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- सामग्री एवं सम्पूर्ति संबंधी क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स तथा समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

6- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल-कृषि कर्म-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

संख्या /3453 (1) /12-2-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार सिविल आडिट प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- अपर क़षि निदेशक कृषि रक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग 3
8- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या 3453/12-2-2013-बजट-1/2009टीसी दिनांक 21 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

(धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक योजना का नाम मानक मद	प्राविधान 2013 14	स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या-11		
लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म आयोजनागत- 107		
02 मजदूरी	1350	675
04 यात्रा व्यय	1750	875
08 कार्यालय व्यय	1244	622
09 विद्युत	2005	1002
11 लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1250	625
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	830	415
15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	3480	1740
27 सब्सिडी	335100	83050
29 अनुरक्षण	2120	1060
42 अन्य व्यय	3760	1880
43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	8100	4050
44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4700	2350
46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1021	511
47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1090	545
योग 107	**367800**	**99400**

(रूपये नौ करोड चौरानबे लाख मात्र) ।

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in